2

पत्र सं0–13 / मुक0–08–10 / 2025..... /

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

निबंधित ईमेल

गुंजन कुमार,
अवर सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, अम्बा, औरंगाबाद।

पटना, दिनांक–

विषयः–सी0डब्लू0जे0सी0 सं0– /2025, रंगनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में प्रतिशपथ पत्र दायर करने के संबंध में।

प्रसंगः– GA-7, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त याचिका की प्रति

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0– /2025, रंगनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दायर याचिका की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

उक्त याचिका में वादी के बकाया रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके पेंशन का भुगतान नहीं होने से संबंधित वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में वादी श्री रंगनाथ सिंह द्वारा दायर याचिका में उल्लेखित विषय वस्तु का संबंध आपके कार्यालय से होने के कारण उक्त याचिका की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयांकित वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर करते हुए कृत्त कार्रवाई से विभाग को सूचित किया जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

अनु0–रिट ईमेल द्वारा प्रेषित।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(गुंजन कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक– पटना / दिनांक

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद / अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक– 768 / पटना / दिनांक 24.2.2025

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

24/02/25

अवर सचिव (प्रबंधन)।

##Letter-2025, Sec-13, Sys-2